International Journal of Social Research and Development
www.socialsciencejournal.net
Online ISSN: 2664-8709, Print ISSN: 2664-8695
Received: 10-11-2023, Accepted: 11-12-2023, Published: 26-12-2023
Volume 5, Issue 2, 2023, Page No. 44-47

प्रधानमंत्री उज्जवला योजनाः ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक स्तर पर प्रभाव

डॉ. पुष्पा देवांगन[1], डॉ. बलभद्र प्रसाद देवांगन[2]
[1] प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, के. पी. महाविद्यालय, बंधापाली सारंगढ़, छत्तीसगढ़, भारत
[2] प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, अशोका महाविद्यालय, उम्मेदपुर, सारंगढ, छत्तीसगढ़, भारत

सारांश
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के शुरू होने से गरीब परिवार की महिलाओं में खुशी का माहौल रहा। शुरूआती चरण में इस योजना में गरीब परिवारों ने खूब बढ़–चढ़कर भाग लिया लेकिन अब इस योजना की चमक फीकी पड़ने लगी है। यह योजना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे परिवारों जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाने का प्रावधान किया गया। परंतु जिस उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया वह शुरूआती दौर में बखूबी पूरा भी हुआ लेकिन मुफ्त में मिले सिलेण्डर के खाली होने पर वे महिलायें फिर से लकड़ी कण्डे, कोयला व धुएं से जूझने लगी हैं। दरअसल मुफ्त में मिले गैस कनेक्शन का सिलेण्डर भराने जब से लोग एजेंसी पहुंचे तो उन्हें पता चला कि योजना ये गैस कनेक्शन के साथ खाली सिलेण्डर व रेगुलेटर ही मुफ्त दिये गये। जिनकी कीमत करीब 1600 रूपये हैं इसके साथ जो भरा सिलेण्डर दिया गया उसकी गैस की कीमत करीब 750 रूपये चूल्हा 900 रूपये व नली की कीमत 100 रूपये कुल मिलाकर 1600 रूपये हितग्राहियों को लोन के रूप में दिये गये। ये लोन किस्तों में चुकाना होगा जब गैस भराने आओगे तो सिलेण्डर की पूरी कीमत देनी पड़ेगी। इसमें जो सब्सिडी मिलेगी वह किस्त के रूप में कटती रहेगी जब तक यह पूरा लोन अदा नहीं हो जाता। जब हितग्राहियों का यह पता चला तो उन्होने सिलेण्डर रिफिल भरवाना ही बंद कर दिया। दरअसल ग्रामीण परिवार की औसत आय तीन हजार से चार हजार रूपये है, ये परिवार प्रतिमाह 800 रूपये गैस पर खर्च करने में सक्षम नहीं है। इसलिए इस योजना में संशोधन करने की आवश्यकता है।

मुल शब्दः प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ईंधन, गरीबी रेखा, गैस कनेक्सन

प्रत्येक देश की आधी आबादी महिलाओं पर आधारित होती हैं। समाज के विकास के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, परंतु शिक्षा से बंचित वर्गों में पूरे भारत में सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। भारत एक विकासशील देश हैं जिसकी 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। भारतीय ग्रामीण महिलाओं की स्थिति आज भी सोचनीय हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुये केंद्र एवं राज्य सरकारों ने ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिये विभिन्न योजनायें जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री अन्त्योदय योजना, प्रधानमंत्री समर्थ योजना आदि सम्मिलित हैं। ग्रामीण महिलाओं का अधिकांश समय घर के कार्यों में व्यतीत होता है जिसमें भोजन पकाना, परिवार के सदस्यों की देखभाल मुख्य रूप से शामिल है। भारतीय ग्रामीण महिलाओं का ज्यादा समय ईंधन की व्यवस्था करने में जाता हैं। आज भी ग्रामीण परिवारों में भोजन पारस्परिक रूप से चूल्हों पर पकाया जाता हैं तथा ईंधन इकट्ठा करने की अधिकांश जिम्मेदारी महिलाओं पर होती हैं भोजन पकाने के लिये परम्परागत ईंधन जैसे लकड़ी गोबर के उपले (कण्डे), मिट्टी का तेल, कोयला आदि पर निर्भर है। अशुद्ध ईंधन का प्रयोग करने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं जिससे उन्हें विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख मृत्यु अस्वच्छ ईंधन के प्रयोग से होती है। उज्जवला योजना से महिलाओं को धुंआ रहित वातावरण में भोजन पकाने की सुविधा मिली है। इससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और ईंधन संग्रह करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई हैं। इस समय का उपयोग महिलायें अपनी आय बढ़ाने और सामाजिक कार्यों के लिये कर सकती है। इस योजना को लागू करने से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा की जा सकती है। उज्जवला योजना के लागू होने के बाद वातावरण प्रदूषण में भी कमी आने की संभावना है। इस प्रकार यह योजना महिलाओं और बच्चों को स्वस्थ्य रखने में सहायक सिद्ध होगी जबकि अत्यधिक संख्या में भोजन पकाने वाली महिलायें श्वांस संबंधी बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। (रमन देवी 2017) एक अध्ययन के अनुसार लकड़ी गोबर के उपले (कण्डे) जैसे पारम्परिक ईंधन के प्रयोग करने से एक घण्टे में 400 सिगरेट पीने जितना नुकसान भोजन पकाने वाले व्यक्ति को होता हैं। स्वास्थ्य के जानकार कहते हैं कि लकड़ी आदि जलने से उठने वाले धुएं में हानिकारक प्रभाव डालती हैं और पर्यावरण को भी प्रदूषित करती है। महिलाओं की समस्याऐं और उनके प्रयोग से होने वाले हानिकारक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने 01 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का शुभारंभ किया। यह योजना एक धुंआ रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती हैं और वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। उज्जवला योजना का लाभ लेने के लिये लाभार्थी को राशन कार्ड में जितने सदस्यों का नाम है सभी का आधार कार्ड होना चाहिए। उनके पास पहले से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिये। आवेदक का नाम 2011 की SECC सामाजिक सूची में होना चाहिये व बीपीएल राशनकार्ड धारीह होना चाहिये। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 10 अगस्त 2021 को फिर से शुरूआत की गई। 2'0 के तहत और 75 लाख नये एल.पी.जी. कनेक्शन देगी। यह उज्जवला योजना के तहत ये कनेक्शन 3 साल यानि 2026 तक दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना

उज्जवला नाम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है। यह उज्जवल भारतीय मूल का एक यूनिसेक्स नाम है और यह अक्सर

उन लड़को और लड़कियों को दिया जाता है। जिन्हें बुद्धिमान रचनात्मक और उर्जावान माना जाता है। ''स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना'' प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरूआत उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की है। यह योजना एक धुंआ रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती हैं और वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। इस योजना से एल.पी.जी. उपयोग में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य संबंधी विकार वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिलेगी। उज्जवला योजना से महिलाओं को धुंआ रहित वातावरण में भोजन पकाने की सुविधा मिली है। इससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और ईंधन संग्रह करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। इस समय का उपयोग महिलायें अपनी आय बढ़ाने और सामाजिक कार्यों के लिये कर सकती है। इस पहल को बढ़ाने के लिये प्रधानमंत्री एल.पी.जी. पंचायतों की शुरूआत की गई है। इसमें उज्जवला लाभार्थियों को एल.पी.जी. के सुरक्षित और सतत उपयोग के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। पूरे देश में एल.पी.जी. की 87876 पंचायतों का आयोजन किया गया है। उज्जवला दीदी के नाम से इस पहल की शुरूआत हुई है। इसमें 10000 महिलाओं और लोगों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। ये महिलायें मुख्य रूप से तीन संदेश देंगी।

1. स्वच्छ घरेलू ईंधन सर्वत्र उपलब्ध है।
2. स्वच्द घरेलू ईंधन किफायती है।
3. एल.पी.जी. सुरक्षित हैं और बीमाकृत है।

उज्जवला दीदी एल.पी.जी. सुरक्षा से संबंधित किसी भी समस्या को दूर करेंगी और नये कनेक्शन की सुविधायें देंगी। इस प्रकार उज्जवला दीदी अपनी पंचायत में महिलाओं के सशक्तिकरण में भूमिका निभायेंगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय महिलाओं को प्रोत्साहित करने में सदा आगे रहा है। मंत्रालय ने महिलाओं को नेतृत्व भूमिकायें सौपी है। लद्दाख के फेह में इंडेन का एल.पी.जी. बाफटलिंग संयंत्र हैं यह विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई 11800 फुट पर स्थित संयंत्र है। इस संयंत्र के संचालन में 11 साहसी महिलायें प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। मंत्रालय ने सभी पेट्रोल पम्पों पर लगभग 37000 महिला एवं पुरूषों के लिये पृथक–पृथक जन सुविधाओं के निर्माण की कार्य योजना तैयार की हैं, व पेट्रोल पम्पों पर ये सुविधायें मौजूद है।

तेल विपणन कम्पनी ने 20187 स्कूलों में लडकियों के लिये पृथक शौचालयों का निर्माण करने का निर्णय लिया हैं जिससे छात्रायें स्कूलों में शौचालय की वजह से बीच में ही पढ़ाई न छोड़े। 95 प्रतिशत शौचालय ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित किये गये जिसमें लगभग 5 लाख छात्रायें इनका उपयोग करती है।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लिये पात्रता

मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना ''प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरूआत उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की है। यह योजना एक धुंआ रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती हैं और वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 10 अगस्त 2021 को फिर से शुरूआत की गई। 2'0 के तहत और 75 लाख नये एल.पी.जी. कनेक्शन देगी। यह उज्जवला योजना के तहत ये कनेक्शन 3 साल यानि 2026 तक दिया जायेगा।

यह योजना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे परिवारों जो कि गरीबी रेखा से नीचे है। उनको निःशुल्क गैस कनेक्शन कराया जाने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु 1600 रूपये का अनुदान भारत सरकार द्वारा सीधे गैस कम्पनी को उपलब्ध कराया जाता है। इसे प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का नाम दिया गया है। इसमें निःशुल्क गैस कनेक्शन मिलने पर चूल्हा खरीदने एवं पहली बार सिलेण्डर भरवाने के लिये आने वाले खर्च को किस्तों में अदा करने की सुविधा भी प्रदान की गई है और यदि लाभार्थी इसे देने में असमर्थ हो तो उसे किस्त की सुविधा भी दी जाती हैं, जो उसकी सब्सिडी से काटी जायेगी। जब यह पूरा हो जायेगा तो लाभार्थी की सब्सिडी उसके खाते में जाने लगेगी। इस योजना को लागू करने से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा की जा सकती है। उज्जवला योजना में लागू होने के बाद वातावरण प्रदूषण में भी कमी आने की संभावना हैं। इस प्रकार यह योजना महिलाओं और बच्चों को स्वस्थ्य रखने में सहायक सिद्ध होगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार की 18 साल से अधिक उम्र की महिला के नाम से गैस कनेक्शन जारी किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना 2011 की सूची में जिन परिवारों के नाम हैं उनके परिवार की महिला के नाम से गैस कनेक्शन जारी किया जाता है। इस योजना के लिये गरीबी रेखा के परिवार का राशन कार्ड, सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना 2011 की सूची की फोटो कापी, पास–पोर्ट साईज फोटो, आधार–कार्ड, राष्ट्रीय बैंक खाता, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित स्वघोषणा पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज लगते हैं साथ ही साथ यह भी जरूरी होता हैं, कि उस परिवार में पहले से कोई गैस कनेक्शन किसी अन्य सदस्य के नाम से न हो। उज्जवला दीदी एल.पी.जी. सुरक्षा से संबंधित किसी भी समस्या को दूर करेंगी और नये कनेक्शन की सुविधायें देंगी। इस प्रकार उज्जवला दीदी अपनी पंचायत में महिलाओं के सशक्तिकरण में भूमिका निभायेंगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय महिलाओं को प्रोत्साहित करने में सदा आगे रहा है। मंत्रालय ने महिलाओं को नेतृत्व भूमिकायें सौपी है।

आवश्यक दस्तावेज

1. आवेदक की आयु 18 साल से अधिक उम्र की महिला होनी चाहिये और वह देश का नागरिक होना चाहिये।
2. गैस कनेक्शन महिला के नाम से जारी किया जाता है। महिला उम्मीदवार को कम आय वाले परिवार या घर से होना चाहिये।
3. आवेदक का नाम 2011 की SECC सामाजिक सूची में होना चाहिए।
4. हाल का एक पासपोर्ट आकार का फोटो।
5. बीपीएल राशनकार्ड धारी होना चाहिए, (बीपीएल प्रमाणपत्र)।
6. फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड या बोटर आईडी कार्ड संख्या) आधार कार्ड नंबर अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करायें तथा अपने नजदीकी गैस एजेंसी से संपर्क करें।
7. जन धन बैंक खाता।
8. ऐजेंसी से उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेण्डर के लिये आवेदन करना चाहिये।

उज्जवला योजना का लाभ लेने के लिये लाभार्थी को राशनकार्ड में जितने सदस्यों का नाम है सभी का आधार कार्ड होना चाहिये। उनके पास पहले से कोई कनेक्शन नही होना चाहिये। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी ऐलान किया था कि सरकार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0 के तहत और 75 लाख नये एल. पी.जी. कनेक्शन देगी। यह उज्जवला योजना के तहत ये

कनेक्शन 3 साल यानि 2026 तक दिया जायेगा। उज्जवला 2.0 का लक्ष्य कम आय वाले परिवारों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना जिन्हें पीएमयूवाई के पहले चरण के तहत कवर नहीं किया जा सका।

उज्जवला योजना का महिलाओं पर प्रभाव

1. **घर में धुएं के प्रकोप से मुक्ति**: जहां परिवार में बच्चों व अन्य को धुएं से होने वाली बीमारियां खांसी, जुकाम, दमा आदि की शिकायत रहती थी। गैस का चुल्हा उपयोग में लाने के पश्चात् परिवार व बच्चों के स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। स्वास्थ्य संबंधी विकास वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिलेगी। उज्जवला योजना से महिलाओं को धुंआ रहित वातावरण में भोजन पकाने की सुविधा मिली है। इससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और ईंधन संग्रह करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। इस समय का उपयोग महिलायें अपनी आय बढ़ाने और सामाजिक कार्यों के लिये कर सकती है।

2. **सुरक्षित वन क्षेत्र में जलाऊ लकड़ी लाने की कठिनाईयों से मुक्ति**: लकड़ी बीनने की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में एक कठिन कार्य हैं इसमें परिवार का समय तो लगता ही है इससे व्यक्तियों की शारीरिक ऊर्जा भी व्यय होती है। लकड़ी बीनने की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में एक कठिन कार्य है। लकड़ी बीनना एक अनावश्यक सामाजिक बोझ है जो गैस सिलेण्डर की नियमित व्यवस्था के होने से बचाया जा सकता है। इससे संबंधित व्यक्तियों का दीर्घ अवधि में स्वास्थ्य भी बेहतर बनेगा और उन्हें इस दुखद श्रम असाध्य कार्य से मुक्ति भी मिलेगी। इससे हमारे जंगल भी अवैध कटाई से बचेंगे और पर्यावरण भी बेहतर होगा।

3. **वनक्षेत्रों में सुरक्षित परिवेश**: इस योजना से बहुत बड़ी संख्या से परिवारों ने जंगल जाना पूर्णतः बंद कर दिया हैं, इससे निश्चित रूप से महिलाओं को अपने गांव/परिवारों में सुरक्षित परिवेश मिला है और इस योजना से महिला सशक्तिकरण के शासन के प्रयासों को बल मिला है। 12 महिने में विभिन्न प्रकार गर्मी, सर्दी, आंधी तूफान, बारिश व जंगली जानवरों से होने वाले खतरों से भी परिवारों को सुरक्षा मिली है। प्रभावित व्यक्तियों में बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति है जो जंगल में ईंधन हेतु लकड़ी बीनने गये थे उज्जवला योजना प्रत्यक्ष रूप में इन व्यक्तियों के लिये भी वरदान साबित होगी। अब जब व्यक्ति जंगल लकड़ी बीनने ही नही जायेगा, तो उसे घर का बेहतर व सुरक्षित परिवेश मिलेगा।
4. **समय का बेहतर उपयोग न होना**: लकड़ी संकलन के कार्य में लगे आधे व्यक्तियों का पूरा दि नही इसमें बर्बाद हो रहा हैं जो हमारे राष्ट्र की शारीरिक क्षमता का उपर्युक्त उपयोग नही है। अब परिवार अपने समय को ज्यादा उपयोगी गतिविधियों में लगा रहे हैं। परिवारों की महिलायें बचे हुए समय में अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय महिलाओं को प्रोत्साहित करने में सदा आगे रहा है। मंत्रालय ने महिलाओं को नेतृत्व भूमिकायें सौपी है। लद्दाख के फेह में इंडेन का एल.पी.जी. बाफटलिंग संयंत्र हैं यह विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई 11800 फुट पर स्थित संयंत्र हैं। इस संयंत्र के संचालन में 11 साहसी महिलायें प्रमुख भूमिका निभा रही हैं।

5. **पूरे देश में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना**: ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत ईंधन लकड़ी कण्डे ही है। इन दोनो के उपयोग से घर का परिवेश निश्चित रूप से प्रदूषित होता हैं जो परिवार के स्वास्थ्य के लिये भी हानिकारक है। बच्चों का शरीर स्वस्थ्य रहता है। धुएं से होने वाली बीमारियों खांसी जुकाम दमा आदि नहीं होती है। स्वच्छ ईंधन से व्यापक पर्यावरण स्वास्थ्य सुधार को भी गति मिलती हैं, इससे परिवार के स्वास्थ्य पर होने वाले अनावश्यक खर्च से बचा जा सकेगा।

6. **अब खाना बनाना हुआ आसान**: एक अध्ययन के अनुसार लकड़ी गोबर के उपले (कण्डे) जैसे पारम्परिक ईंधन के प्रयोग से एक घण्टे में 400 सिगरेट पीने जीतना नुकसान भोजन पकाने वाले व्यक्ति को होता है। स्वास्थ्य के जानकार कहते हैं कि लकड़ी आदि जलने से उठने वाले धुएं में हानिकारक प्रभाव डालती है और पर्यावरण को भी प्रदूषित करती है। योजना के हितग्राहियों को खाना बनाने का कार्य अब पहले जैसे बोझिल नहीं रहा है, क्योंकि अब खाना बनाने में समय कम लगता है और परिवारों की महिलायें बचे हुए समय में अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभा रही हैं जैसे–बच्चों को समय पर स्कूल भेजना, खाने का टिफिन तैयार करने में सुगमता आदि।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के शुरू होने से गरीब परिवार की महिलाओं में खुशी का माहौल रहा। शुरूआती चरण में इस योजना में गरीब परिवारों ने खूब बढ़–चढ़कर भाग लिया लेकिन अब इस योजना की चमक फीकी पड़ने लगी है। यह योजना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे परिवारों जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु 1600 रूपये का अनुदान भारत सरकार द्वारा सीधे गैस कम्पनी को उपलब्ध कराया जाता है। इसे प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का नाम दिया गया है। इसमें निःशुल्क गैस कनेक्शन मिलने पर चूल्हा खरीदने एवं पहली बार सिलेण्डर भरवाने के लिये आने वाले खर्च को किस्तों में अदा करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इस योजना का उद्देश्य था गरीब परिवार की महिलाओं को खाना बनाने में रोज धुएं से होने वाली परेशानी से बचाना। इससे संबंधित व्यक्तियों का दीर्घ अवधि में स्वास्थ्य भी बेहतर बनेगा। और उन्हें इस दुखद श्रम असाध्य कार्य से मुक्ति भी मिलेगी। इससे हमारे जंगल भी अवैध कटाई से बचेंगे और पर्यावरण भी बेहतर होगा। आंधी तूफान, बारिश व जंगली जानवरों से होने वाले खतरों से भी परिवारों को सुरक्षा मिली हैं। परंतु जिसे उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया वह शुरूआती दौर में बखूबी पूरा भी हुआ लेकिन मुफ्त में मिले सिलेण्डर के खाली होने पर वे महिलायें फिर से लकड़ी कण्डे, कोयला व धुएं से जूझने लगी हैं। दरअसल मुफ्त में मिले गैस कनेक्शन का सिलेण्डर भराने जब से लोग एजेंसी पहुंचे तो उन्हें पता चला कि योजना ये गैस कनेक्शन के साथ खाली सिलेण्डर व रेगुलेटर ही मुफ्त दिये गये। जिनकी कीमत करीब 1600 रूपये हैं इसके साथ जो भरा सिलेण्डर दिया गया उसकी गैस की कीमत करीब 750 रूपये चूल्हा 900 रूपये व नली की कीमत 100 रूपये कुल मिलाकर 1600 रूपये हितग्राहियों को लोन के रूप में दिये गये। ये लोन किस्तों में चुकाना होगा जब गैस भराने आओगे तो सिलेण्डर की पूरी कीमत देनी पड़ेगी। इसमें जो सब्सिडी मिलेगी वह किस्त के रूप में कटती रहेगी जब तक यह पूरा लोन अदा नहीं हो जाता। जब हितग्राहियों का यह पता चला तो उन्होने सिलेण्डर रिफिल भरवाना ही बंद कर दिया। दरअसल ग्रामीण परिवार की औसत आय तीन हजार से चार हजार रूपये है, ये परिवार प्रतिमाह 800 रूपये गैस पर खर्च करने में सक्षम नहीं है। इसलिए इस योजना में संशोधन करने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना प्रभाव आंकलन–अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल मध्यप्रदेश
2. एस.अग्रवाल, एस. कुमार एण्ड एम.के. तिवारी–(2018) – डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर प्रधानमंत्री उज्जवला योजना।
3. राजनाथ राम और शाफकत मुबारक (2018) – प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, ग्रामीण महिलाओं की जिन्दगी।
4. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना–सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार।
5. अग्रवाल एस.कुमार, एस.और तिवारी एम.के. (2018) प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लिये निर्णय समर्थन प्रणाली।
6. देवी आर. (2017) प्रधानमंत्री उज्जवला योजना मुद्दे और चुनौतियां इंटरनेशन जर्नल ऑफ ऐकेडमिक रिसर्च एण्ड डेव्हलपमेंट।